छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

क्रमांक /मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर ,दिनांक / /2016

--::कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा Ease of Doing Business के अंतर्गत आवेदन पत्रों का सरलीकरण, स्वीकृति/अनुमोदन हेतु वांछित प्रकियाओं का सरलीकरण, प्रकियाओं के लिए समयसीमा का निर्धारण आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है। परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के स्थान पर परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम 2016 दिनांक 04/04/2016 से प्रभावशील है। इस नियम के प्रावधानों के तहत् प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 120 दिन (04 माह) की अवधि में प्रकरण पर निर्णय लिया जाना होता है। Ease of Doing Business के तहत् उक्त समयसीमा 120 दिन (04 माह) के स्थान पर 60 दिन (02 माह) किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार उद्योगों/संस्थानों/खदानों के प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण प्रकरणों का निपटारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन (02 माह) की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जावे। उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जावें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र/568/मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर ,दिनांक 9/6/2016

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6/6/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

D:\D.D\HINDI LETTER\HINDI LETTER NAYA WALA.docx